न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 10/2014 नामान्तरकरण अपील

1. रामप्रताप पुत्र मलखान
2. सुमेर सिंह पुत्र मोतीलाल
   जति गुर्जर निवासी राजाहेडा तहसील बसवा जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र सावल्या जाति गुर्जर निवासी राजाहेडा तहसील बसवा जिला दौसा
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बसवा दिनांक 2.3.2005 जो नामान्तरकरण संख्या 70 ग्राम राजाहेडा तहसील बसवा पर पारित किया गया है।

उपस्थिति :– 1. श्री विनोद विजय अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित।
2. श्री मिठ्ठनलाल गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 उपस्थित।

–:निर्णय:– दिनांक: 11.07.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम राजाहेडा तहसील बसवा में स्थित कृषि भूमि वर्तमान ख.न. 420/603 के सम्पूर्ण रकबे पर मौके पर अपीलान्ट व अन्य लोगो का पचास वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि का अप्रार्थी नं. 01 को दिनांक 21.02.1976 या किसी भी अन्य दिनांक को आवंटन नही हुआ है। ना ही अप्रार्थी सं. 01 का कब्जा रहा है। किन्तु उक्त भूमि में से 1.26 है0 का गलत तरीके से अप्रार्थी नं. 01 को दिनांक 21.02.1976 को आवंटन दिखाकर बिना कोई जांच किये लगभग 29 वर्ष बाद नामान्तरकरण सं. 70 ग्राम राजाहेडा गैर खातेदारी का भरकार एवं बिना मौके की जांच किये व अपीलान्ट्स व अन्य काबिज व्यक्तियों को सुनवाई और सबूत का अवसर दिये बिना ही विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 02.03.2005 को तहसीलदार बसवा ने नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण खोलने के लिए तहसीलदार को अधिकार नही होते हुए भी बिना कोई जांच किये विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण सं. 98 दिनांक 31.10.2006 को गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। तहसीलदार बसवा के नामान्तरकरण सं. 70 ग्राम राजाहेडा पर पारित आदेश दिनांक 2.3.2005 के विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 की बहस सुनी गई।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया की दिनांक 21.02.1976 को ख.न. 420/603 का अस्तित्व नही था। आवंटन पत्रावली में ख.न. 89 में 5 बीघा आवंटन दिखाया गया है। 1976 में ख.न. 89 का रकबा 98 बीघा 4 बिस्वा था जिसकी किस्म बंजड बीहड अंकित है। भूमि का प्रकार कृषि का अयोग्य खड्डेदार वन भूमि है। झाडीदार वन खड्डेदार भूमि, बीहड भूमि का आवंटन नही हो सकता है। अतः आवंटन गलत है एवं भूमि का किस्म परिवर्तन भी नही कियां गया है। अतः प्रतिबन्धित भूमि होने से आंवटन नही हो सकता था। आवंटन के समय पटवारी हल्का द्वारा ख.न. 89 की कोई जांच नही की गई एवं उद्घोषणा बाबत भी कोई अंकन नही है। आवंटन समिति के हस्ताक्षर में दिनांक 21.02.1975 लिखा है। आवंटन समिति केवल सिफारिश करती है। आवंटन उपखण्ड अधिकारी करता है। रिपोर्ट पटवारी में स्पष्ट लिखा है कि आवंटी ने कब्जा प्राप्त नही किया है और न ही पट्टा फीस चुकाई है। आवंटित भूमि का कब्जा नही सम्भलाया गया है। कब्जा दिये बिना गैर खातेदारी का नामान्तरकरण नही खोला जा सकता है। 29 वर्षो तक आवंटन का नामान्तरकरण नही खोला जिसका कोई कारण अंकित नही किया है। गैर खातेदारी के 1 वर्ष बाद ही खातेदारी का नामान्तरकरण खोल दिया गया। कब्जा नही होने बाबत रिपोर्ट है। प्रश्नगत भूमि पशुओं की चराई के काम आती है।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट को भूमि खसरा नं0 89 में से दिनांक 21.2.76 को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। प्रश्नगत आवंटित भूमि किसी भी तरह से प्रतिबंधित भूमि नहीं है। नामान्तरकरण खुलने में देरी होने का कारण पहले जिला कलक्टर महोदय को शिकायत की गई थी जिसकी जांच होने के उपरान्त गैरखातेदारी अधिकार दिये गये हैं। खसरा नम्बर 89 सम्पूर्ण आवंटित हो चुका है। अपीलांट्स रेस्पोडेन्ट नं0 1 से व्यक्तिशः रंजिश रखते हैं इसलिये हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की गई है। अपीलांट नं0 2 के पिता मोतीलाल एवं अपीलान्ट सं0 1 के भाई मनोहरलाल सहित अन्य लोगो ने न्यायायल उप जिला कलक्टर बांदीकुई मे उनवानी बनवारी वगैराह बनाम रामेश्वर मु0 नं0 123/2013 बाबत् इस्तकरार हक एवं हुक्म इम्तनाई दवामि एक दावा दिनांक 24.6.2013 को पेश किया है जो विचाराधीन है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। आठ वर्ष पश्चात् अपील पेश करने का कोई औचित्यपूर्ण कारण भी व्यक्त नहीं किया है। एक ही अनुतोष के लिये दो भिन्न–भिन्न न्यायालयों में कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने अपील के माध्यम से स्वयं के लिये कोई अनुतोष नहीं मांगा है। इस अपील के निर्णय से अपीलान्ट के किसी प्रकार से हक व अधिकार प्रभावित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 70 दिनांक 2.3.2005 से व्यथित पक्षकार नहीं है। इस कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। ऐसा मत माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय भागीरथ वगैराह बनाम गोपी वगैराह अपील सं0 6000/Alwar/2016 आर आर डी 2017 पेज नं0 441 में प्रतिपादित किया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व सम्पूर्ण जांच की गयी है। हल्का पटवारी से मौके की जांच करवाई है तथा गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत् मार्गदर्शन भी जिला कलक्टर दौसा से लिया गया था। कृषि भूमि आवंटन 1970 के नियम 18 के अन्तर्गत गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने के लिये तहसीलदार ही सक्षम अधिकारी हैं। अपीलान्ट का यह कहना कि तहसीलदार सक्षम नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

है, गलत है। रेस्पोडेन्ट का आवंटन के समय से ही भूमि विवादग्रस्त पर कब्जा काश्त अनवरत चला आ रहा है। तहसीलदार बसवा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व सम्पूर्ण जांच की गयी थी। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये–

1. आर.आर. डी. 2017 पेज 441
2. आर.आर.डी. 2017 पेज 558
3. आर.आर.डी. 2003 पेज 190
4. आर.आर.डी. 2007 पेज 346

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 को खसरा नं0 89 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 21.2.1976 को किया गया है। जिसके परिपेक्ष्य में प्रश्नगत नामान्तरकरण सं0 70 दिनांक 2.3.2005 तहसीलदार बसवा द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपील में वर्णित तथ्य की अपीलान्ट को 21.2.1976 को भूमि का आवंटन नहीं हुआ है विरोधाभासी है। अपील के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि अपील के माध्यम से अपीलान्ट्स ने अपने लिये कोई अनुतोष नहीं मांगा है, अपील के स्वीकार होने अथवा खारिज होने से अपीलान्ट्स के किसी भी प्रकार से हक व अधिकार प्रभावित नहीं होते है। बिना अनुतोष के कोई भी अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं0 70 दिनांक 2.3.2005 ग्राम राजाहेडा तहसील बसवा के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 11.7.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा